न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2015
प्रविष्टि दिनांक 7.07.2015

महावीर प्रसाद, श्री दामोदर लाल जैन मालिक फर्म मैसर्स सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राजस्थान।

.....रेस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एस0बी0 क्रिमनल रिविजन पीटीशन नम्बर 865/2006 मे पारित निर्णय दिनाक 11.05 .2015 की पालना के कम मे

उपस्थितिः—

1. श्री तेजमल जैन अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
2 श्री रामभजन मीणा प्रवर्तन निरीक्षक पेराकार सरकार

निर्णय दिनांक 25—11—2021

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रक है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने अभियान 'शुद्व के लिये युद्व'' के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2002 को कस्बा निवाइ स्थित फर्म0 मै0 सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी की दुकान पर संयुक्त जॉच दल द्वारा छापा मार कर जॉच कार्य मालिक फर्म श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री दामोदर लाल जैन तथा गवाहान श्री पदमचन्द पुत्र श्री रामकिशोर जैन व ओमप्रकाश पुत्र सागरमल अग्रवाल मौके पर मोजूदगी में किया गया था। दौराने जॉच मौके पर 135 कट्टा चावल वजनी 2800 किलोग्राम अवैध रूप से भण्डारित पाये गये। फर्म ने उक्त चावलों के व्यापार करने हेतु राज0 ट्रेड आर्टिकल (अनुज्ञापन एंव नियंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत कोई थोक या खुदरा अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं कर रखा था। फर्म द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल(लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1980 क्लोज 18 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा 10 क्विंटल से अधिक चावल एक समय में विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रख कर उक्त आदेश के खण्ड 3(1) 3(2) का उल्लंघन पाये जाने के कारण जप्त कर वास्ते सुरक्षा श्री पदमचन्द पुत्र रामकिशोर महाजन की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत राजसात करने चावल 135 कट्टा वजनी 2800 किलो न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण 4/2002 दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही हुए दिनांक 12—1—2006 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी टोंक स्वीकार कर जप्तशुदा 135 कट्टा चावल वजनी 2800 किलोग्राम राजसात कर उसकी राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये। फर्म मालिक द्वारा जिला कलेक्टर टोंक के आदेश दिनांक 12—1—2006 के विरूद्व अपील सं0 6/2006 सेशन न्यायाधीश टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16—6—2006 को निर्णय पारित कर अपील अस्वीकार

Signature Not Verified
Digitally Signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

अपील अस्वीकार कर न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक का निर्णय 12–1–2006 को यथवत रखने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात फर्म की ओर से जिला कलेक्टर टोंक व जिला सैश्न न्यायालय टोंक निर्णय दिनांक 16–6–2006 के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस0बी0 क्रिमनल रिविजन पीटीशन नम्बर 865/2006 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–5–2015 में रिविजन पिटिशन स्वीकार कर दोनों पक्षों को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अभिभाषक द्वारा मय नकल आदेश दि0 11.05.2015 संलग्न करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु दिनांक 1–7–2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 31–1–2002 को जॉच के दौरान 135 कट्टे चावल के 2800 किलोग्राम वजन के जप्त किये गये थे वह उनके नहीं थे ओर अन्य व्यक्तियों सीताराम पुत्र देवकरण गुर्जर के 32 कट्टे, जगदीश पुत्र मोती गुर्जर 30 कट्टे, नारायण पुत्र बिशनलाल गुर्जर 32 कट्टे, थे। उन्होंने यह माल सांगानेर जयपुर से कय कर जोधपुरिया भगवान देवनारायण मेले में अस्थाई दुकान लगा कर बेचने के लिए सांगानेर से मंगवाये थे ओर मेरे से पुरानी जान पहचान व लेन देन होने के कारण मेरी दुकान पर उतार दिये थे। फर्म के 38 कट्टे थे ओर इतना माल ई0सी0 एक्ट के तहत रखे जाने पर छूट है। वेसे भी राजस्थान राजपत्र दिनांक 19–4–2002 की राजस्थान व्यापारित वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 से गेहूँ, चावल,धान व चीनी की स्टॉक सीमा हटा दी गई हैं। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को अवैध।निक बताते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने को निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने जॉच के दौरान कोई भी गवाह, सबूत व साक्षय पेश नहीं किया कि यह माल उसका नहीं होकर अन्य लोगों का था। जॉच के समय माल जप्ति के दिन दुकान मालिक मौके पर मौजूद थे ओर उन्होंने जप्तशुदा माल को अपना स्वंय का होना स्वीकार कर हस्ताक्षर किये थे। फर्म द्वारा जप्तशुदा चावल को अन्य व्यक्तियों का बताना बाद में सोची समझी साजिश है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा कन्ट्रोल आर्डर 19–4–2002 को विड्रा किया था जबकि यह मामला अधिसूचना जारी होने से पहले ही बनाया जा चुका था, अतः इस प्रकरण पर यह अधिसूचना लागू होना नहीं मानी जा सकती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक ने ऐसा कोई साक्ष्य पश नहीं किया जिससे यह जाहिर हो कि यह चावल अन्य व्यक्तियों के थे ओर उनके द्वारा जान पहचान होने के कारण उनकी दुकान पर रखवाये गये थे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि राज्य सरकार के अभियान 'शुद्ध के लिये युद्ध'' के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2002 को कस्बा निवाई स्थित फर्म0 मै0 सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी की दुकान पर संयुक्त जॉच दल द्वारा मौके पर वि[illegible]के से जॉच की है ओर जॉच के उपरान्त प्रश्नगत 135 कट्टे चावल [illegible] पाया है, जिसे फर्म के मालिक ने अपना होना स्वीकार किया है, जो राजस्[illegible] ट्रेड आर्टिकल(लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1980 क्लोज 18 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा 10 क्विंटल से अधिक चावल

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

10 क्विंटल से अधिक चावल एक समय में विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रख कर उक्त आदेश के खण्ड 3(1) 3(2) का उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही गवाहान के समक्ष विधिवत रूप से की गई थी। ऐसा नहीं लगता कि रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरूद्व एंव त्रूटिपूर्ण रही हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज़ किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 12–1–2006 यथावत रखा जाता है। प्रकरण मे पुनः नवीन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested